आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–68 / 2023	
11.01.2024	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्री शम्भू नाथ विश्वकर्मा, ग्राम–चेचरिया, पंचायत–मुर्रामकला, प्रखण्ड–उंटारी रोड़, जिला–पलामू Telephonic Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकरी, पलामू अनुपस्थित। शिकायतकर्त्ता ने सुनवाई के दौरान दूरभाष पर बताया कि उनका पहले लाल राशन कार्ड था जिसे उन्हें बताये बगैर रद्द कर दिया गया और अब ग्रीन कार्ड बना दिया गया है। लेकिन ग्रीन कार्ड में राशन मिलता ही नहीं है, ऐसे में वो भुखमरी की कगार पर पहुँच चुके है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि शिकायतकर्त्ता के संदर्भ की पूरी जानकारी इकठ्ठा करें और यदि उन्हें खाद्यान्न का संकट है तो उन्हें तत्काल आकस्मिक खाद्यान्न कोष से अनाज उपलब्ध करायें। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश भी देता है कि वो इस मामले की जाँच कर प्रतिवेदन आयोग को समर्पित करें की किस परिस्थिति में शिकायतकर्त्ता का लाल राशन कार्ड निरस्त किया गया? मामले की अगली सुनवाई दिनांक–30.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–30.01.2024 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

G:\Rachana jsfc\Court order.docx23

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267